रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] **नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 2012/फाल्गुन 22, 1933**

No. 103] **NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 2012/PHALGUNA 22, 1933**

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2012

सा.का.नि. 137(अ).—केन्द्रीय सरकार तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (यात्रा भत्ता) नियम, 1984 में, पुन: संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (यात्रा भत्ता) नियम, 1984 (इसमें इसके पश्चात् मूल नियम के रूप में उल्लिखित) में, नियम 2 में, खंड 8 में "कर्मचारी के साथ रह रहे और पूर्ण रूप से उस पर आश्रित उसके माता-पिता, बहनें एवं अप्राप्तवय भाई" शब्दों के स्थान पर "कर्मचारी पर पूर्णत: आश्रित माता-पिता, बहनें एवं नाबालिग भाई जब तक वो कर्मचारी के साथ रह रहे हैं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

3. मूल नियमों में, नियम 5 में,—

(क) उप-नियम (1) में, "कर्मचारी के मूल वेतन" शब्दों के स्थान पर "कर्मचारी का ग्रेड वेतन" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे;

(ख) उप-नियम (4) हटा दिया जाएगा ।

4. मूल नियमों में, नियम 7 में, उप-नियम (8) में, "सदस्य (जिनके अंतर्गत अध्यक्ष हैं) और 2800 रुपये और अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी" शब्दों और अंकों के स्थान पर "रुपये 4200 और अधिक के ग्रेड वेतन की आय के कर्मचारी" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

5. मूल नियमों में, नियम 9 में,—

(i) उप-नियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) बोर्ड के अधिकारियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार में समकक्ष श्रेणी के कर्मचारियों के अनुसार" :

(ii) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जएगा, अर्थात् :—

"(3) अधिकारी द्वारा शासकीय यात्रा के लिए खरीदे गए टिकटों पर मिले सभी मील-दूरी अंकों का उपयोग बोर्ड द्वारा उनके अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अन्य शासकीय यात्राओं के लिए किया जाएगा एवं इन मील-दूरी अंकों का अधिकारी द्वारा निजी यात्रा के लिए किया गया उपयोग विभागीय कार्रवाई आकर्षित करेगा ।"

6. मूल नियमों में, नियम 10 में,—

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) सरकारी यात्रा, प्रशिक्षण या स्थानांतरण के दौरान बोर्ड के कर्मचारी उन्हीं दरों पर दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जैसा केन्द्रीय सरकार के समकक्ष श्रेणी वाले कर्मचारियों के लिए देय होंगे :

बशर्ते बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति की बैठकों में शामिल होने या बोर्ड के किसी अन्य व्यवसाय में शामिल होने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित या उसके स्वामित्व वाली किसी निगम के अधिकारी द्वारा की गई यात्रा के मामले में बोर्ड द्वारा उस निगम जिसमें वह उस समय कार्यरत है, के नियमों के अंतर्गत देय दरों पर यात्रा व दैनिक भत्ता देय होगा" ।

(ख) उप-नियम (2), (4), (6) व (7) हटा दिए जाएंगे ।

7. मूल नियमों में, नियम 14 में,—

(क) उप-नियम (2), (3) व (8) हटा दिए जाएंगे ।

(ख) उप-नियम (11) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(11) स्थानांतरण या सेवा निवृत्ति पर, बोर्ड का कर्मचारी निजी वाहन को केन्द्रीय सरकार के समकक्ष श्रेणी वाले कर्मचारियों को देय दरों के अनुसार परिवहन करने का हकदार होगा ।"

(ग) उप-नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(12) निजी सामान के परिवहन की लागत का दावा करते समय अपने दावे के समर्थन में कर्मचारी को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि वास्तविक उपगत खर्चा, दावा की गई राशि से कम नहीं था और प्रमाण-पत्र में, वास्तव में ले जाए गए निजी सामान, यदि उनका परिवहन अलग रेल, सड़क, स्टीमर या अन्य क्राफ्ट से किया गया हो, का वज़न एवं वास्तविक प्रदत्त राशि का उल्लेख करेगा तथा नियंत्रण अधिकारी ब्यौरों की संवीक्षा/जांच करेगा और स्वयं को संतुष्ट करेगा ।"

8. मूल नियमों में, नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"18. सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ता-सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी की पात्रता, केन्द्रीय सरकार के समकक्ष श्रेणी वाले कर्मचारियों के लिए निर्धारित पात्रता के अनुरूप होगी ।"

9. मूल नियम में, नियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"19. सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उसके परिवार को यात्रा भत्ता, सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर सक्षम प्राधिकारी, उसके परिवार को ऐसे यात्रा व्यय दे सकता है जो केन्द्रीय सरकार में समकक्ष श्रेणी वाले कर्मचारी के परिवार को ग्राह्य है;

यह छूट तथापि, निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध नहीं होगी :

(क) कर्मचारी, जिसकी सेवानिवृत्ति पर्यन्त छुट्टी के दौरान मृत्यु हो जाती है ।

(ख) सेवानिवृत्ति कर्मचारी जिन्हें पुनः नियोजित किया गया है ।

(ग) "अस्थाई कर्मचारी" जिसने तीन साल तक सतत सेवा प्रदान नहीं की है ।"

10. मूल नियमों में, नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"20. संगोष्ठी, सम्मेलन इत्यादि में उपस्थित होने हेतु यात्रा भत्ता - जब कर्मचारी को बोर्ड के हित में बैठकों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में उपस्थित होने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति मिलती है, तब वह दौरे के समकक्ष यात्रा भत्ते का हकदार होगा ।"

11. मूल नियमों में, नियम 22 में, "अग्रिम सामान्यतः दौरे पर अनुमानित व्यय या स्थानांतरण पर किसी कर्मचारी को मिलने वाली राशि के 90 प्रतिशत तक सीमित होगी" शब्दों के स्थान पर "यह अग्रिम, केन्द्रीय सरकार में समकक्ष श्रेणी वाले कर्मचारियों के लिए ग्राह्य दरों के समान होगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

12. मूल नियमों में, नियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"25. अवकाश यात्रा रियायत—

(क) गृह नगर के लिए अवकाश यात्रा रियायत मुख्यालय से बोर्ड कर्मचारी के गृह नगर तक की यात्रा के लिए कर्मचारी और उसके कुटुम्ब को दो कैलेण्डर वर्षों के ब्लॉक में, अर्थात् 1986-87, 1988-89 इत्यादि में एक बार, दूरी के ध्यान बिना, स्वीकृत होगा;

(ख) भारत के किसी भी स्थान के लिए अवकाश यात्रा रियायत, बोर्ड कर्मचारी के मुख्यालय से दौरे के स्थान तक की यात्रा के लिए कर्मचारी और उसके परिवार को चार कैलेण्डर वर्षों के ब्लॉक अर्थात् 1986-89, 1990-93 इत्यादि में एक बार बिना दूरी का ध्यान किए स्वीकृत होगा :

बशर्ते उस कर्मचारी जिसे स्व नगर अवकाश यात्रा रियायत स्वीकार्य है, के मामले में, उसके द्वारा भारत में किसी भी स्थान हेतु यात्रा के लिए प्राप्त किए गए अवकाश यात्रा रियायत को उसे यात्रा प्रारंभ के समय प्राप्य गृह नगर अवकाश यात्रा रियायत के बदले तथा उसके विरुद्ध समायोजित होगा;

(ग) वह कर्मचारी जिसका परिवार उससे दूर उसके गृह नगर में रहता है, इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली रियायत जिसमें चार वर्ष में एक बार भारत में किसी भी स्थान हेतु अवकाश रियायत यात्रा सहित जो अन्यथा उसके व उसके परिवार के सदस्यों को प्राप्य होती, के प्रतिस्थापन में केवल अपने लिए प्रतिवर्ष गृह नगर जाने हेतु अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है;

(घ) 1 सितम्बर, 2008 के बाद से, नए भर्ती हुए कर्मचारियों को, अपने परिवार के साथ, बोर्ड में पहली बार शामिल होने के बाद के 8 वर्षों की अवधि के अन्दर, तीन बार अपने गृह नगर जाने तथा चौथी बार भारत के किसी भी स्थान पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी ।"

13. मूल नियमों में नियम 27 हटा दिया जाएगा ।

14. मूल नियमों में, नियम 28 में, उप-नियम (2) में "और यह भी कि यात्रा छुट्टी की अवधि के भीतर प्रारंभ होती है" शब्दों के स्थान पर "और यह भी कि यात्रा अवकाश समय ख़त्म होने से पहले पूरी हो गई है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

15. मूल नियमों में, नियम 30 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) बोर्ड के अधिकारियों तथा उनके परिवार द्वारा अवकाश यात्रा रियायत के लाभ हेतु हवाई/रेल/सड़क/समुद्री मार्ग से यात्रा की पात्रता श्रेणी, दौरा/स्थानांतरण के लिए पात्रता के समकक्ष होगी ।"

16. मूल नियमों में, नियम 31 में, उप-नियम (3) में से "परन्तु यह कि जहाँ कोई कर्मचारी, अपनी कार द्वारा यात्रा करता है, बोर्ड की सहायता वहाँ तक सीमित होगी जो यदि यात्रा प्राधिकृत वर्ग में रेल द्वारा की जाती तो अनुज्ञेय होती । ऐसी दशाओं में कार द्वारा की गई यात्रा के लिए उपगत वास्तविक खर्च की छानबीन नहीं की जाएगी" शब्द हटा दिए जाएंगे ।

17. मूल नियमों में, नियम 33 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) जहाँ कर्मचारी ने अग्रिम राशि का आहरण किया है, यात्रा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा, वापसी यात्रा पूरी होने के एक माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाएगा तथा अन्य मामलों में, इसे वापसी यात्रा के पूरे होने के तीन माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाएगा ।"

[फा. सं. जी-37026/4/2003-वित्त II]

वी. एल. वी. एस. एस. सुब्बाराव, सलाहकार (वित्त)

पाद टिप्पणी :—मूल नियम, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 473(अ), दिनांक 26 जून, 1984 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1038(अ), दिनांक 28 अक्तूबर, 1988 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the, 9th March, 2012

G.S.R. 137(E).—In exercise of the powers conferred by Section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Oil Industry Development Board Employees' (Travelling Allowance) Rules, 1984, namely :—

1. (1) These rules may be called the Oil Industry Development Board Employees' (Travelling Allowance) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oil Industry Development Board Employees' (Travelling Allowance) Rules, 1984 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, in clause 8, for the words "sisters and minor brothers residing with and wholly dependent upon the employee", the words "sisters and minor brothers so long as they are residing with and wholly dependent upon the employee" shall be substituted.

3. In the principal rules, in rule 5,—

(a) in sub-rule (1), for the words "the basic pay of an employee", the words "the grade pay of an employee" shall be substituted;

(b) sub-rule (4) shall be omitted.

4. In the principal rules, in rule 7, in sub-rule (8), for the words and figures "Members (including Chairman) and employees in receipt of basic pay of Rs.2800 and above", the words and figures "employees in receipt of grade pay of rupees 4200 and above" shall be substituted.

5. In the principal rules, in rule 9,—

(i) in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) in the case of officers of the Board in the same manner as admissible to the employees of the Central Government of equivalent status :"

(ii) after sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(3) All mileage points earned by the officer on tickets purchased for official travel shall be utilized by the Board for other official travel by their officers and any usage of these mileage points for purposes of private travel by an officer shall attract departmental action."

6. In the principal rules, in rule 10,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The employees of the Board while on tour, training or during transfer shall be entitled to daily allowance at such rates as admissible to the employees of the Central Government of equivalent status :

Provided that in the case of any journey performed by an official of a Corporation owned or controlled by the Central Government for attending the meetings of the Board or of any Committee of the Board or to attend to any other business of the Board, the travelling and daily allowances admissible to him shall be payable by the

Board at the rates admissible to him under the rules of such Corporation under which he is for the time being employed."

(b) sub-rules (2), (4), (6) and (7) shall be omitted.

7. In the principal rules, in rule 14,—

(a) sub-rules (2), (3) and (8) shall be omitted;

(b) for sub-rule (11), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(11) On transfer or retirement, the employee of the Board shall be entitled to convey the vehicles owned by him or her at the same rate and on the same scale as are admissible to the employees of the Central Government of equivalent status.

(c) for sub-rule 12, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(12) An employee claiming the cost of transporting personal effects must support his claim by a certificate that the actual expense incurred was not less than the sum claimed and shall state in the certificate the weight of personal effects actually carried and the amount actually paid for their transport if transported separately, by rail, road, steamer or other craft; and the controlling officer shall scrutinise the details and satisfy himself that the claim is reasonable."

8. In the principal rules, for rule 18, the following rule shall be substituted, namely :—

"18. Travelling Allowance on retirement—The entitlement of an employee on retirement shall be the same as that of the Central Government employee of equivalent status."

9. In the principal rules, for rule 19, the following rule shall be substituted, namely :—

"19. Travelling Allowance to the family of an employee who dies while in service - The competent authority may grant to the family of an employee who dies while in service such travel expenses as are admissible to the family of an employee of the Central Government of equivalent status :

Provided that such concession shall not be available in the following cases :

(a) employee who dies while on leave preparatory to retirement;

(b) retired employees who have been re-employed;

(c) temporary employees who have not rendered three years continuous service.".

10. In the principal rules, for rule 20, the following rule shall be substituted, namely :—

"20. Travelling Allowance for attending Seminars, Conferences, etc.—When an employee is permitted by the competent authority to attend meetings, seminars or conferences in the interest of the Board, he shall be entitled to Travelling Allowance while on such tour."

11. In the principal rules, in rule 22, for the words, "transfer. The advance shall normally be restricted to ninety per cent of the estimated expenditure on tour or entitlement of an employee on transfer", the words "transfer and such advance shall be the same as are admissible to the Central Government employees of equivalent status".

12. In the principal rules, for rule 25, the following rule shall be substituted, namely :—

"25. The Leave Travel Concession to—

(a) the home town shall be admissible to an employee of the Board and his family irrespective of the distance involved between the headquarter of the employee and his home town, once in a block of two calendar years, such as 1986-87, 1988-89 and so on;

(b) the Leave Travel Concession to any place in India shall be admissible to an employee of the Board and his family irrespective of the distance involved between the place of visit from the headquarter of the employee, once in a block of four calendar years, such as 1986-89, 1990-93 and so on :

Provided that in the case of an employee to whom Leave Travel Concession to home town is admissible, the Leave Travel Concession to any place in India availed of by him or her shall be in lieu of, and adjusted against, the Leave Travel Concession to home town available to him at the time of commencement of journey;

(c) an employee whose family lives away from him at his home town may, in lieu of all concessions under this scheme, including the Leave Travel Concession to any place in India once in a block of four years which would otherwise admissible to him or her and members of his or her family, choose to avail of Leave Travel Concession for self only to visit the home town every year.

(d) with effect from 1st September, 2008, fresh recruits along with their families shall be allowed to visit their home towns on three occasions and to any place in India on fourth occasion during a block of four years in the initial period of eight years after joining the Board for the first time."

13. In the principal rules, rule 27 shall be omitted.

14. In the principal rules, in rule 28, in sub-rule (2), for the words "provided also that the journey commenced within the period of leave", the words "provided also that the journey completed before the expiry of the leave" shall be substituted.

15. In the principal rules, in rule 30, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

> "(1) The entitled class of travel by air or rail or road or sea while on Leave Travel Concession by officers of the Board and their family shall be the same as that for travel by tour or transfer."

16. In the principal rules, in rule 31, in sub-rule (3), the words "Provided that where the journey is performed by an employee by his own car the Board's assistance will be limited to what would have been admissible had the journey been performed by rail by the authorized class. In such cases no scrutiny of the actual expenses incurred for the journey by car will be made" shall be omitted.

17. In the principal rules, in rule 33, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

> "(1) where an advance has been drawn by an employee, the claim for reimbursement of the expenditure incurred on the journey shall be submitted within one month of completion of return journey and in other cases, it shall be submitted within three months of completion of return journey.

[F. No. G-37026/4/2003-Fin. II]

V. L. V. S. S. SUBBA RAO, Adviser (Finance)

Foot Note :—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 473(E), dated the 26th June, 1984 and was subsequently amended *vide* number G.S.R. 1038(E), dated the 28th October, 1988.

778 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.